



रिपोर्ट पटवारी व भू.अभि.नि.

प्राथी के प्रार्थना पत्र, सलग्न दस्तावेज एवं जमाबन्दी की जाँच की गई। ग्राम ~~मावली~~ की खाता संख्या 393... में प्राथी का नाम रामेश्वर पुत्र शंभु है। अतः प्राथी का नाम रामेश चन्द पुत्र शंभु किया जाना उचित है।


रामेश्वर उर्फ रामेशचन्द्र पिता शंभु
किताजाना उचित है।


पटवारी तहसील 3
02/09/23
पटवारी
हदार मण्डल इण्डाली
तहसील मावली (उदयपुर)

भू.अभि.नि. 
03/09/23
M. P. Singh

रिपोर्ट तहसीलदार मावली

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभि.नि. के अनुसार ग्राम ~~मावली~~ की खाता संख्या 393.. में प्राथी का नाम रामेश्वर उर्फ रामेशचन्द्र पुत्र शंभु दर्ज किया जाना उचित है।


P. S. Singh
तहसीलदार मावली

पत्र सं. - 143/23
निर्णय दिनांक - 12/09/2023
आदेश

पत्रावली आज दिनांक को दर्ज रजिस्टर होकर पेज हुई। प्राथी द्वारा प्रार्थनापत्र उपस्तुत कर मौजा चायलो का खेडा परिवार हल्का इण्डाली की खाता सं. 393 में प्राथी का नाम रामेश्वर पिता शंभु उचित होने से शुद्ध किया जाने का निवेदन किया। पटवारी हल्का व उपतहसीलदार सक्काड़ द्वारा रिपोर्ट पेज कर रामेश्वर उर्फ रामेशचन्द्र लेने एक ही व्यक्ति बताने नाम शुद्ध किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा चायलो का खेडा परिवार हल्का इण्डाली की खाता सं. 393 में खालेदार रामेश्वर पिता शंभु के बजाय रामेश्वर उर्फ रामेशचन्द्र पिता शंभु दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली केसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मावली

